तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी मौसम वगै0 बनाम** तहसीलदार **नीमकाथाना मु.सं. 11/2025**
27-03-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थियागण उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होकर प्राप्त हुयी हैं। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थी की ओर से काई हाजिर अदालत नही आया हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील प्रार्थियागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थियागण ने निवेदन किया कि प्रार्थियागण ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 03.12.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थियागण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 03.12.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थियागण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थियागण सीमाज्ञान दिनांकित 03.12.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

<u>आदेश</u>

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम जीलो तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 954, 956 कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 में प्रार्थियागण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 03.12.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की [illegible] तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] कम [illegible] तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना